

प्रेषक,

विनोद कुमार सिंह,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में

अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, (उच्च शिक्षा)
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक.....।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत वित्त रहित शिक्षा नीति की समाप्ति के पश्चात संबद्धता प्राप्त डिग्री महाविद्यालय को रू0 89,29,95,500/- (नवासी करोड़ उन्तीस लाख पंचानवे हजार पाँच सौ रू0) मात्र स्वीकृत राशि का आवंटन।

महाशय,

“बजट शीर्ष-2202 सामान्य शिक्षा, उपमुख्य शीर्ष-03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा, लघु शीर्ष-104-अराजकीय कॉलेजो तथा संस्थानों को सहायता, मांग संख्या-21, उपशीर्ष-0003-वित्त संपोषित महाविद्यालय, विपत्र कोड-21-2202031040003, विषय शीर्ष-0003.31.04-सहायक अनुदान-वेतन मद में मगध विश्वविद्यालय, बोध गया, वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा, बी0 आर0 ए0 बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फपुर, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा, बी0 एन0 मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर, के0 एस0 डी0 संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा को वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत राज्यादेश संख्या-165 दिनांक-28.03.2018 द्वारा कुल स्वीकृत राशि रू0 89,29,95,500/- (नवासी करोड़ उन्तीस लाख पंचानवे हजार पाँच सौ रू0) मात्र व्यय हेतु निम्नवत् आवंटन आवंटित की जाती है:-

विवरणी

क्र0 सं0	0003.31.04-सहायक अनुदान-वेतन मद में	पूर्व में आवंटित राशि	तत्काल आवंटित राशि		कुल आवंटित राशि
			सत्र 2007-2010	सत्र 2008-2011	
1	2	3	4	5	6
1	मगध विश्वविद्यालय, बोध गया	-	0	24,09,65,500	24,09,65,500
2	वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा	-	0	19,95,00,000	19,95,00,000
3	बी0 आर0 ए0 बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फपुर	-	3,00,00,000	16,97,00,000	19,97,00,000
4	ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा	-	0	10,97,00,000	10,97,00,000
5	बी0 एन0 मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा	-	25,00,000	4,97,00,000	5,22,00,000
6	तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर	-	1,00,00,000	7,96,30,000	8,96,30,000
7	के0 एस0 डी0 संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा	-	0	13,00,000	13,00,000
	कुल योग :-	-	4,25,00,000	85,04,95,500	89,29,95,500

तत्काल दी जाने वाली राशि रू0-89,29,95,500/- (नवासी करोड़ उन्तीस लाख पंचानवे हजार पाँच सौ रू0) मात्र।

2. मासिक व्यय विवरणी प्रतिमाह अवश्य भेजी जाए। टी0भी0 नम्बर के अभाव में विपत्र एवं निकासी की वास्तविक निधि एवं तिथि अवश्य अंकित करें।
3. मितव्ययिता अवश्य बरतें।
4. पत्र प्राप्ति की सूचना अवश्य दें।
5. यह राशि वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 (वि0-2), दिनांक-17.04.1998 300(वि), दिनांक-08.05.2009, 428 दिनांक-31.03.2017 एवं 3002 दिनांक-26.04.2017 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत आवंटित है।
6. उक्त राशि स्वीकृत्यादेश संख्या-165 दिनांक-28.03.2018 के आलोक में आवंटित है।
7. उक्त राशि स्वीकृत्यादेश संख्या-165 दिनांक-28.03.2018 में उल्लिखित प्रावधानों एवं शर्तों के आलोक में ही व्यय किया जाय।
8. उक्त राशि की निकासी निर्गत स्वीकृत्यादेश के आधार पर सचिवालय कोषागार विकास भवन, पटना से BTC-46/51 पर सेवाशीर्ष से पूर्व प्राप्ति रसीद के आधार पर अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, शिक्षा विभाग द्वारा की जायेगी तथा विश्वविद्यालयों को महाविद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के भुगतान हेतु राशि विश्वविद्यालय द्वारा खोले गये पी०एल० खाता में उपलब्ध करायी जाएगी।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(विनोद कुमार सिंह),

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक- 484

पटना, दिनांक-..... 28/3/18

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/सचिव, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव/निदेशक, (उच्च शिक्षा), शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव-सह-बजट पदाधिकारी, शिक्षा विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी-5, 14 एवं 15/कार्यवाहक सहायक, प्रशाखा पदाधिकारी/लेखापाल/रोकड़पाल, उच्च शिक्षा (दो प्रतियों में)/शिक्षा विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(विनोद कुमार सिंह),

सरकार के विशेष सचिव।

5/2